21/10/19		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण अनु.

प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की ग्राम किटनोद के बेरा जाव वाला के मूल खसरा नं. 112, 123, 112/638, 123/639 है। जिसमें विपक्षीगण संख्या 1 से 42 की खातेदारी भूमि है। इसी प्रकार ग्राम किटनोद के बेरा ओडा वाला के जाव के मूल ख. नं. 365, 366, 367, 368, 365/642, 368/647 है। वर्तमान में जमाबंदी अनुसार तरमीम किया जाना सम्भव नहीं है। खातेदारान के रहवासीय मकानात खातेदारी खेत में बने हुए है अतः परिशिष्ट 'अ' के कॉलम 1 से 7 अनुसार दोनो खसरा नं. 1 से 7 एकीकरण प्रस्तावित है। इसी अनुसार एकीकरण का आदेश फरमावे। अतः संलग्न परिशि० अ व ब के कॉलम न. 8 से 12 अनुसार खाते का एकीकरण करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया। विपक्षीगण ने जवाब पेश करने का समय देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। वर्तमान में ग्राम किटनोद बेरा व जाव वाला के जाव के मूल ख० नं०

1 से 7 के खातेदारान का काश्त जमाबन्दी अनुसार नहीं है एवं खातेदारान के स्वामी अभिलेख आने हुए है। प्रार्थी का निवेदन है की उक्त दोनो खसरान को एकीकरण करने का निवेदन किया है। जबाकी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 1956 की धारा 131, 136 RLR act के तहत पेश की गई है। धारा 136 राजस्व रेकर्ड मे हुई किसी अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु है। एकीकरण कर संयुक्त खाता दर्ज करने का नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा।

Scanned by CamScanner